

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३९३] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर २६, १९६६/अग्रहायण ५, १८८८

No. 393] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1966/AGRAHAYANA 5, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION

ORDER (COPY RIGHT)

New Delhi, the 25th November 1966

S.O. 3604.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:—

1. The Order may be called the International Copyright (Sixth Amendment) Order, 1966.
2. In the International Copyright Order, 1958, in Part II of the Schedule, after the entry 'Vatican City', the entry "Venezuela" shall be inserted.

[No. F. 3(11)/66-C.O.]

A. M. D'ROZARIO, Jt. Secy.

शिक्षा मंत्रालय

(आदेश (कापी राइट)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर 1966

एस० नॉ० 3605.—प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

1. यह आदेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (छूटा संशोधन) आदेश, 1966 कहा जाए ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 की अनुसूची के भाग-II में 'बटिकन सिटी' की प्रविष्टि के बाद 'बेनजुइला' की प्रविष्टि की जाएगी ।

[सं० एफ-3(11)/66 कापी राइट]

ए० एम० डी' रोजारियो,

संयुक्त सचिव ।